



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042022-235454
CG-DL-E-30042022-235454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1888]
No. 1888]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

का.आ. 1988(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईनस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र सं० 1035, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 10 मार्च, 2022 में पृष्ठ सं० 2 हिन्दी और पृष्ठ संख्या 6 अंग्रेजी पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1067(अ) तारीख 9 मार्च, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला:- एस.पी.एस.आर.नेल्लोर		राज्य:- आंध्र प्रदेश	
के स्थान पर		पढ़ा जाये	
संभाग	जिला	संभाग	जिला
बोगोले	एस.पी.एस.आर.नेल्लोर	कावली	एस.पी.एस.आर.नेल्लोर

[फा. सं. 11025(15)/1/2021-ओआर-1/इ-37744]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**ERRATUM**

New Delhi, the 28th April, 2022

S.O. 1988(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 1067(E) dated 9th March, 2022, published at page 2 in Hindi and page 6 in English part II, Section – 3, Sub – Section (ii) of the Gazette of India No. 1035 dated 10th March, 2022 namely:-

SCHEDULE

District:- SPSR Nellore		State :- Andhra Pradesh	
For		Read	
Revenue Division	District	Revenue Division	District
Bogole	SPSR Nellore	Kavali	SPSR Nellore

[F.No. R-11025(15)/1 /2021-OR-I/E-37744]

P. SOMAKUMAR Under Secy.